International Journal of Scientific Research in Science and Technology
Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X (www.ijsrst.com)
doi : https://doi.org/10.32628/IJSRST

छत्तीसगढ. राज्य में मनरेंगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों के जीवन में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन'' राजनांदगांव जिले के विशेष सदर्भ में''

दिलेश्वरी साहू
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, नया रायपुर (छ.ग.)
डॉ. अनीता सामल
(Ph.D) प्राध्यापक, कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, नया रायपुर (छ.ग.)

Article Info
Volume 8, Issue 4
Page Number : 256-262
Publication Issue
July-August-2021
Article History
Accepted : 15 July 2021
Published : 17 July 2021

ABSTRACT

मनरेंगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिको के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम उन ग्रामीणों कों जो शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार किये गये हैं। जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 150 दिन का गांरटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराती है , जिसमें यह योजना रोजगार गारंटी के साथ श्रमिकों के आर्थिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता तथा आर्थिक स्थिति का सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान किये गये हैं।

मुख्य शब्द : मनरेंगा, श्रमिक, विकास, ग्रामीण क्षेत्र

भारत जैसे एक कृषि प्रधान देश मे एवं ग्रामीण बाहुल्य राष्ट्र है। जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ की ग्राम्य क्षेत्रो में निवासरत थी परन्तु वर्तमान में भारत की जनसंख्या 134 करोड़ तक पहुच चूकी हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे सह परिवार का मुख्य का व्यवसाय सामान्यतः कृषि हैं और भारत की कृषि हैं।वह पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। जो कि अनिश्चित है। जिसके कारण अल्प वर्षो व अति वर्षा की स्थिति बनी रहती हैं। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे व्यक्ति को रोजगार का कोई अन्य सापन सुविधा जनक उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगारी जैसे व्यापक रूप में वियमान हो जाती हैं। जो कि हमारे देश में बेरोजगारी व गरीबी एवं जनसंख्या वृद्धि जैसे ज्वलता, समस्या को जन्म देती हैं। और वह एक भयानक रूप ले चूकी है। तथा जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही हैं उसी अनुपात में कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यो का अभाव है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की व्यक्ति को परिवारिक रोजगार उपलब्ध करा पाना संभव नही हैं।

अतः ग्रामीण क्षेत्रो के निवासरत परिवार को रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासी एवं शहरो की ओर पलायन करने लगे है। और जिसमें गांव से शहरों की ओर पलायन पर रोक लगाने व निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तथा महिला एवं पुरूष में सुधार लाने के लिए तथा कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 5 दिसंबर 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम चलाया गया या पारित किया गया था।जिसकें अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और यह पहली ऐसी योजना हैं, जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता हैं। जिसमें अप्रैल 2008 से यह कानूनी तौर पर भारत के सभी ग्रामों में लागू किये गये हैं।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

1णंददंचपवतंउ;1992द्ध द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मुलन याजेना का ग्रामीण निर्धनता पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामो ंके अनुसार ग्रामीण गरीबी उन्मलून योजना में सतत् रोजगार के कारण ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार आया ।

2ैप्पककींदजंएच्ण्;2008द्ध ने अपने लेख मे ंमनरेगा पर योजना आयोग की रिर्पोट का विश्लेषण किया। इसके अनुसार केवल 14 प्रतिशत परिवारो को योजना के अंतर्गत 100 दिन रोजगार पद्रान किया जा सका। रिर्पोट के अनुसार गुजरात और केरल ने मनरेंगा के तहत औसत 22 दिन का रोजगार प्रत्येक पंजीकृत परिवार को उपलब्ध कराया वही ंपश्चिम बगांल एव ंबिहार में 26 दिन राजेगार उपलब्ध कराया। गजुरात, केरल, पश्चिम बगांल एवं बिहार देश में मनरेगा के कियान्वयन मे ंसबसे पिछड़े हुए थे ।

3ण् ठंकवकपलं मज ंसण्;2011द्ध महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का गरीबी उन्मुलन के संदर्भ मे ंअध्ययन किया। अध्ययन हेतु ग्वालियर जिले के मोरार ब्लॉक के 110 ग्रामीण लाभार्थी जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के थे, का चयन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामो के मनरेगा में कार्य करने से लाभार्थियो ंकी आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार हुआ। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि मनरेगा मे ंकार्य के दौरान अधिकारीयो से सपंर्क मे ंआने से लाभार्थियों का शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, लाने सुविधा के बारे में जानकारी मे भी सार्थक वृद्वि हुइ ।

4ण् भ्वददांमतप ंदक ज्ञवजम;2012द्ध ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी योजना ने गॉव से पलायन की समस्या एव ंआर्थिक स्थिति पर पडने् वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन हेतु गुलर्बगा जिले के दो गॉवों कोडला एव कुसनुरू से आकंड़ो का सकंलन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत रोजी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया गया एवं इस सबंध मे ंकोई शिकायत दर्ज नही ंहुइ । अध्ययन मे ं यह पाया गया कि मनरेगा मे ंकार्यरत प्रतिशत लोग मनरेगा के विषय में अनभिज्ञ थे । अध्ययन से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणाम में यह ज्ञात हुआ कि मनरेगा के प्रारभं होने के पश्चात् ग्रामीणो ंकी पलायन की प्रवृति घटी जिसका मख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार था।

छत्तीसगढ. राज्य के राजनादगांव जिले के तहसील खैरागढए छुईखदानए मोहल्ला में श्रमिको को रोजगार की प्रतिशत ज्ञात करना ? मनरेगा योजना का अध्ययन गुजरात केरल पश्चिमबंगाल एवं बिहार देश में अध्ययन हुआ हैं लेकिन छत्तीसगढ. राज्य में नही हुआ हैं? इसलिए मै छत्तीसगढ. राज्य के राजनादगांव जिले मे अध्ययन की गयी हैं द्य

शोध का उद्देश्य :–

शोंध प्रबंध में यह उदेश्य को आधार बनाया गया है। कि जो मनरेगा योजना के द्वारा ग्रामीण उन्मूलन विश्लेषण पर आधारित किये गये है। जिसके उदेश्य निम्मलिखित हैं –

(1) मनरेंगा में ग्रामीण महिलाओं एवं पुरूषों तथा अन्य सदस्य को रोजगार उपलब्ध न होने के कारण शहरो की ओर पलायन को अध्ययन किया गया हैं द्य

(2) मनरेगा में महिलाओं एवं पुरूषों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया गया हैं द्य

(3) मनरेगा योजना से क्षेत्र के विशेष विकास पर प्रभावों का अध्ययन किया गया हैं द्य

(4) राजनांदगांव जिले में मनरेंगा द्वारा किये गये कार्यो का अध्ययन किया गया हैं द्य

;5द्ध मनरेगा योजना की महत्ता एवं कार्यशीलता पर प्रभाव का अध्ययन किया गया हैं द्य

(6) मनेरगा योजना कें सकल संचालन हेतु उपर्युक्त सुझाव प्रस्तुत किया गया हैं द्य

शोध प्रविधि :–

राजनांदगांव जिले के नौ ब्लाक मे से तीन ब्लाक लिये गये हैं ;छुईखदानए खैरागढए मोहला द्ध सर्वे विधि तथा आंकडा का प्रयोग किये गयें हैंद्य शोध प्रविधि शोध अध्ययन का मूलभूत आधार शोध सामाग्री, समंक व सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है। जिससे प्राप्त समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन व प्रस्तुतीकरण किया गया है। शोंध से प्राप्त संमको को आवश्यक जांच व विश्लेषणात्माक दृष्टिकोण करने के बाद सम्मिलित किए गए हैं। जिस शोध प्रबंध में सांख्यिकीय परिसिमाओं व अपवादों को भी ध्यान में रखा गया हैं। इनके अलावा प्रश्नावली का चयन निदर्शन विधि का उपयोग समको का ग्राफीय प्रदर्शन कर विश्लेषण व निर्वाचन किया गया है।

परिकल्पना :–

प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित परिकल्पना की पुष्टी गई है जो इस प्रकार हैं –

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना ग्रामीण महिलाओं एवं पुरूषों तथा बच्चे जैसे शहरों की ओर पलायन को रोकने में सहायक होगी।

(2) बेरोजगारी तथा गरीबी जैसे स्थिति में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीणी रोजगार गारंटी योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

(3) ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

मनरेगा का परिचय :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रो में निवासरत परिवारों के अजिविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु यह योजना चलाई गई है। इसमें एक वर्ष में 150 दिन तक का काम श्रमिकों को दिया जाता है। जैसे कुआं खुदाई, भूमि सुधार नदी व नाला का गहरी करण इत्यादी अधिनियम का मुख्य उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिवर्ष 150 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के रोजी रोटी चलाये जाते है।

मनरेगा कार्यक्रम में प्रत्येक किये गये कार्यो को देश के ग्रामीण क्षेत्रो में निवासरत श्रमिक परिवार की सुरक्षा प्रदान करते हेतु मनरेगा अधिनियम 05 दिसबंर 2005 को जारी किये गये हैं। तथा छत्तीसगढ़ राज्य में 02 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई हैं।

इसमें प्रथम चरण में 11 जिले लिये गये हैं – बस्तर , बिलासपुर, दतेंवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा इत्यादी। तथा इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना निम्नलिखित उदेश्य हैं –

(1) समाज के हशिए पर सामाजिक बदलाव को लाना।

(2) रोजगार में वृद्धि होना।

(3) ग्रामीणों से शहरो की ओर हो रहे पलायन को रोकना।

(4) ग्रामीण भारत में सुखा बचाव और बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करना।

ऑकड़ो का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण :–

छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ा और घनी अबादी वाला जिला राजनांदगांव है यह छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण–पश्चिम भाग में स्थित हैं। तथा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राज्य का दूर्ग संभाग के अंतर्गत आते है जो छत्तीसगढ़ राज्य का पांचवा संभाग बना।राजनांदगांव जिले के विकास खण्डवार पंचायतो एवं ग्रामों की संख्या 2011 की स्थिति के अनुसार –

तालिका क्रं. 01

विकासखंड	कुल पंचायत	कुल ग्राम
खैरागढ़	114	218
छुईखदान	106	227

मेहला	56	171
कुल	**276**	**616**

राजनांदगांव जिले में मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों की स्थिति –

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक

		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20	
क्र.	ब्लाक	कुल श्रमिको की संख्या	कार्य दिवस की प्रतिशत	कुल श्रमिको की संख्या	कार्य दिवस की प्रतिशत	कुल श्रमिको की संख्या	कार्य दिवस की प्रतिशत
1	खैरागढ़	124129	72:	135344	69:	1.46451	76:
2	छुईखदान	116206	64:	121517	66:	1,15.619	69:
3	मेहला	69138	53:	75679	59:	81791	58:
	कुल	309,473	63:	332,540	64:	243,861	67:

आरेख क्रमांक –01

राजनांदगांव जिले में मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक

पूर्ण कार्य दिवस का प्रतिशत

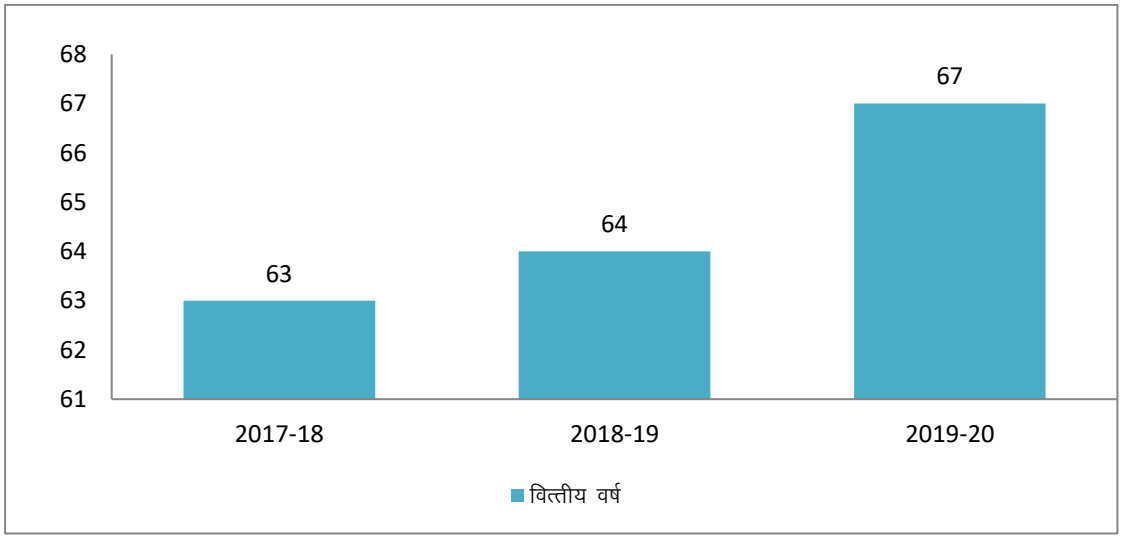

रेखाचित्र का स्पष्टीकरण :–

उपर्युक्त रेखाचित्र से यह स्पष्ट किये जाते है कि वित्तीय वर्ष में 2017–18 में मनरेगा के अंतर्गत कुल 309473 श्रमिकों में 1954 से 63 प्रतिशत श्रमिको को रोजगार दिया गया जो कुल 63 प्रतिशत है वर्ष 2018–19 में कुल श्रमिको कि संख्या की कुल प्रतिशत 64 प्रतिशत रोजगार दिया गया हैं। वर्ष 2019–20 कुल प्रतिशत 64 रोजगार दिया गया हैं। तथा इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रोजगार का प्रतिशत 67 रोजगार दिये गये है।

तालिका क्रमांक 02

मनरेगा के अंतर्गत अर्जित मानव दिवस **आय** का विवरण

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक

वर्ष	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आय (रुपये में)
2017–18	125.00
2018–19	152.00
2019–20	190.00

आरेख क्रमांक 02

मनरेगा के अंतर्गत अर्जित मानव दिवस का विवरण

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक

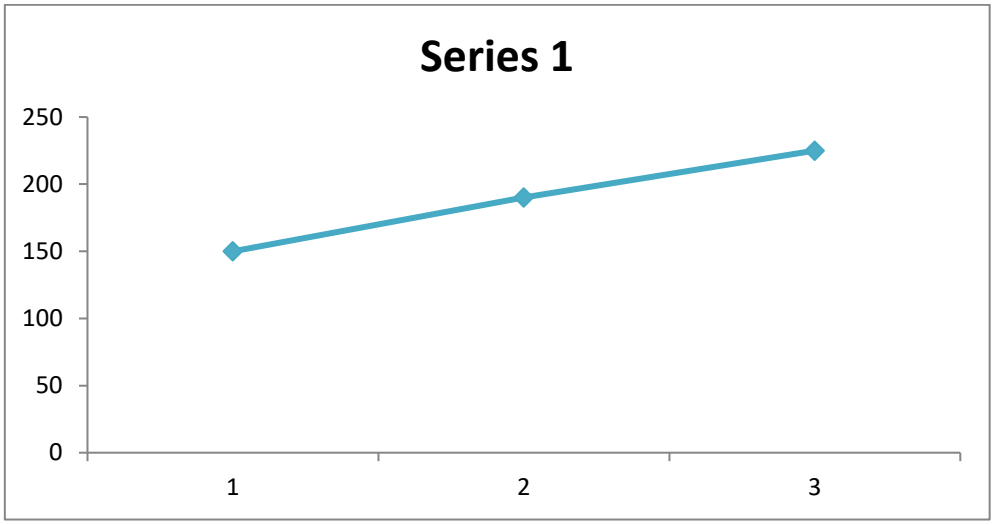

तालिका का स्पष्टीकरण :–

उपर्युक्त रेखचित्र मे से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिको की देय मजदूरी दर अधिनियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो वर्ष 2017–18 में प्रतिदिन व्यक्ति अर्जित आय 125 रू. वर्ष 2018–19 में 152 रू में तथा 2019–20 में 190 रू. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय निर्धारित की गई है। इस प्रकार मनरेगा योजना में श्रमिको की मजदूरी वृद्धि से महिला एवं पुरूष श्रमिक दोनो श्हर की ओर होने वाली पलायन में दिन प्रतिदिन कमी आई और उनके जीवन स्तर में सुधार आई है।

उपलब्धियां :–

मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिको को 150 दिन का काम की गारंटी दिया जाता है जिससे महिलाओं को विशेष रोजगार की अवसर प्रदान किये जाते है।

(1) राजनांदगांव जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिला एवं पुरूषो को 69 प्रतिशत रोजगार अधिक रहा है जिससे जिले को सम्मानीय पुरस्कृत किये गये हैं।

(2) राजनांदगांव जिले के गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित कर पुरस्कृत किया गया।

(3) मनरेगा योजना के अंतर्गत मातृत्व, प्रोत्साहन, भत्ता दिया जाता है। जिससे अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को बिना काम के मजदूरी प्रदान की जाती हैं।

समस्या :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना अधिनियम में श्रमिकों के साथ अन्य समस्या आई है –

(1) कार्य स्थल पर (जैसे तालाब का गहरी करणद्ध समुचित सुविधाओं का अभाव पाया गया।

(2) कार्य करने के दौरान ठेकेदारो के द्वारा श्रमिकों के साथ र्दुव्यवहार किया जाता हैं।

(3) मनरेगा में श्रमिको को भुगतान बैकों में, डाकघरों के माध्यम से दिया जाता है जिससे श्रमिकों को बैकों की औपचारिकता पूरी करने में कठिनाई आती है।

(4) महिला एवं पुरूष श्रमिकों को अशिक्षित होने से मजदूरी भुगतान में मेटो द्वारा गड़बड़ी की जाती हैं।

(5) मनरेगा में श्रमिकों को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे जानकारी का अभाव हो जाती है।

(6) श्रमिकों केा फर्जी मस्टररोल बनाया जाता है जिससे महिलाए व पुरूष मनरेगा योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाती है।

समाधान –

महात्मा गांधी रोजगार गांरटी योजना में श्रमिको के समस्या आई है उनका समाधान निम्नलिखित है –

(1) कार्य स्थल पर ;जैसे तालाब का गहरीकरण द्ध समुचित सूविधा प्रदान किये जाने चाहिए जैसे – पेयजल, छप्पर, प्राथमिक चिकित्सा, तथा 06 साल से या 05 साल से कम आयु के बच्चे के लिये झूलाघर की व्यावस्था कि जानी चाहिए।

(2) कार्य करने के द्वारान ठेकेदारो द्वारा महिला व पुरूष श्रमिकों के प्रति र्दुव्यवहार किये जाने पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

(3) मनरेगा में श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिए बैकों व डाकघरों को स्यमं आगे आना चाहिए तथा बैकों व डाकघरों को ही खाते खुलवाने से संबंधित औपाचौरिकताएं पूरी करनी चाहिए।

(4) महिला व पुरूष श्रमिकों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे मेटो द्वारा की गई नियम व अधिकार जालसाजिस को समझ सके।

(5) मनरेगा में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता व शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में अच्छे से जानकारी दी जानी चाहिए।

(6) सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करवाना चाहिए ताकि जिससे भ्रष्टाचार व जैसे गबन विसंगति को रोका जा सके।

(7) जहां तक संभव हो सके की श्रमिको को ग्रामीण सीमा के 05. किमी. के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सुझाव :–

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किये गए आवेश की अच्छी से जांच कर ही जांच कार्ड का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित कर कुशल कार्यो में सम्मिलित किये जाना चाहिए जिससे प्रत्येक वर्ग को शिक्षित व अशिक्षित दोनो श्रमिको रोजगार प्राप्त हो सके।

(3) सरकार द्वारा समय–समय पर भुगतान किया जाना चाहिए जिससे मजदूरो को भुगतान करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का समाना नही करना पड़े।

(4) मनरेगा योजना में कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी तौर पर की जानी चाहिए जिससे कार्य का विशिष्टिकरण किया जाना होगा जिससे प्रत्येक वर्ग के लाभ श्रमिकों व सरकार दोनो को प्राप्त होगा।

(5) सरकार को ठेकेदारो की नियुक्ति पर रोक लगाना चाहिए जिससे ग्रामीण परिवार अधिक से अधिक लाभांवित हो सके।

(6) मनरेगा में ऐसे कार्य जो मशीन की सहायता से किए जाते है उन पर रोक लगानी चाहिए ताकि ग्रामीण परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।

(7) कार्य स्थल पर समुचिज रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए।

(8) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए गए कार्यो की गुणवत्ता बढ़ाए जाने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष :–

उपर्युक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इस प्रकार से निष्कर्ष निकाला जा सकता है मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाली श्रमिको के जीवन यापन में सुधार आये तथा दिन प्रति दिन महिला व पुरूष श्रमिक शहरों की ओर होने वाले पलायन में बदलाव आई है जिसमें राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक महिला एवं पुरूष को रोजगार प्राप्त में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया।

मनरेगा श्रमिकों की आत्मा बन गई है और श्रमिकों को एक अच्छे जीवन जीना सीखा दिया गया है।

संदर्भ ग्रथ सूची :–

शाधे ग्रथं एव ंपुस्तकेंः–

1. आनंद प्रकाश मिश्र – ग्रामीण निर्धनता, साहित्य भवन,आगरा, 1998
2. अनन्या चद्रं – गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों के कुछ मुद्दें, कैलाश पुस्तक सदन,भोपाल, 2001
3. बम्हदेव शर्मा – गरीबी का मकडज़ाल, साहित्य भवन,आगरा, 1999
4. छदे खदुाई – भारतीय ग्रामीण कल्याण, तिवारी प्रकाशन,दिल्ली, 2001
5. डॉ.बी.एल. माथुर – भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन,आगरा, 1997
6. डॉ. बी.एल. फाडिय़ा – शोध पद्वतियॉ, साहित्य भवन पब्लिकशेन,आगरा, 2004
7. डॉ. बी.एम जैन – शोध प्रविधी एवं क्षेत्रीय तकनीक, कालेज बुक डीपोट,जयपुर, 2001
8. डॉ. डी.सी. पंत – भारत में ग्रामीण विकास, कैलाश पुस्तक सदन,भापेाल, 1998
9. डॉ. गणशे पाण्डये एव ंअरूणा पाण्डये– शाधे प्रविधी, राधा पब्लिकशेन,दिल्ली, 2007
10. डॉ. जी.के. अग्रवाल – सामाजिक समस्याऍ, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिंग हाउस,मथुरा,1998
11. डॉ. हीरालाल – जनसख्यां भूगोल के मूल तत्व, कैलाश पुस्तक सदन,भापेाल, 2003
12. डॉ. मामोंरिया एव ंद्विवदी – भारत की आर्थिक समस्याऍ, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिगं हाउस,मथुरा, 2005
13. डॉ. मामोंरिया एव ंजनै – भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकशेन,आगरा, 1999
14. डॉ. मिश्र जगनाथ – भारतीय आर्थिक विकास की नयी प्रवृतियॉ, विकास पब्लिकशेन हाउस,दिल्ली, 1998
15. डॉ. ओ.एस. श्रीवास्तव – संवृद्वि एवं विकास का अर्थशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन,भापेाल, 2005
16. डॉ. पदमावती – ग्रामीण निर्धनता एव ंनिधर्नता कार्यक्रमो का मल्यूाकंन, तिवारी प्रकाशन,दिल्ली, 2002
17. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी – रिसर्च मैथ्डालोजी, कालेज बुक डीपाटे,जयपुर, 1998
18. डॉ. सजंय तिवारी – सामाजिक विज्ञान मे ंशोध प्रविधी, साहित्य भवन,आगरा, 2000
19. डॉ. वी.सी. सिन्हा – भारतीय अर्थव्यवस्था एव ंसाख्यिकी, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिगं हाउस,मथुरा ,2005
20. लुईस क्लोरेंस– असमानता और गरीब, साहित्य भवन,आगरा, 2003